

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

क्रमांक: एक ई।/आनंदि/08/16

भोपाल, दिनांक 20.08.2

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय:- अध्यापक संघर्ष के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक फ-1-75/
2008 / 20-1 दिनांक 22.7.08

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने करें। संदर्भित आदेश के द्वारा यह निर्देश दिए गये थे कि अध्यापक संघर्ष के स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण तभी कियान्वित किये जाएं जबकि माध्यमिक शाला में न्यूनतम 3 शिक्षक (शिक्षक/अध्यापक/संविदा शाला संघर्ष) उपलब्ध हो जाएं। अध्यापक संघर्ष के संगठनों से यह फीड बैंक प्राप्त हुआ है कि संदर्भित आदेश के कारण नयी खोली गई माध्यमिक शालाओं एवं उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में भी उपरोक्त अध्यापक संघर्षों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करना संभव नहीं हो पा रहा है। जबकि नवीन संस्थाओं के शिक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित आदेश की कड़िका-2 में निम्नानुसार बिन्दु जोड़ा जाएः

” यदि किसी अध्यापक का किसी माध्यमिक शाला से नवीन खोली गई शाला में स्थानांतरण प्रस्तावित है तब उस माध्यमिक शाला में न्यूनतम 2 शिक्षक सुनिश्चित करते हुए शेष संख्या में अध्यापक संघर्ष के शिक्षकों को वरीयताक्रम में नवीन शाला में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जा सकेगा। इस आदेश के प्रयोजन हेतु 2 शिक्षकों की गणना में प्रधान अध्यापक के

(शिक्षक / अध्यापक / सविदा शिक्षक संबर्ग) को शाला में पदस्थ रखते हुए स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति के अन्तर्गत स्थानांतरित होने वाले अध्यापक को नयी शाला के लिए कार्यमुक्त किया जा सकेगा। जिन शाला में प्रधान अध्यापक पदस्थ नहीं है उन माध्यमिक शालाओं में 2 शिक्षक (शिक्षक / अध्यापक / सविदा शिक्षक संबर्ग) में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शेष अध्यापक को वरीयताकाम में नवीन शाला में पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।"



(मनोज झालानी)
सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्रमांक: २८५ | ६१८ | ५८ | १७

भोपाल, दिनांक: २०-९४-२००६

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश
5. आयुक्त, आदिम कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मप्र
7. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश



सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग